



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941
No. 1272]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/CHAITRA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019

(आयकर)

का.आ. 1420(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9क की उप-धारा (9) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत सृजित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनियम के तौर पर अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 27/2019/ फा. सं. 500/182/2018-एफटी एंड टीआर-V]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव (विदेश कर एवं कर अनुसंधान) -II

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2019

(INCOME TAX)

S.O. 1420(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (9) of section 9A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the **Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996** made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) as the regulation for the purposes of the said section.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 27/2019 / F.No. 500/182/2018 -FT&TR - V]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy. (Foreign Tax and Tax Research) - II